राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान , जयपुर

क्रमांक : F-21/NRHM/ASHA/Convergence/2009/4387 जयपुर दिनांक : 5-10-9

क्रमांक : F-26(4)/AS/T&C/ICDS/09/65190 जयपुर दिनांक : 29.9.09

परिपत्र

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मानदेय सेवा में तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रेरक / प्रतिपूर्ति राशि पर कार्य करने हेतु आशा सहयोगिनीयों के क्रम में उनके चयन, प्रशिक्षण एवं हटाने के संबध में समय–समय पर परिपत्र / आदेश / दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते रहे है। पूर्व में प्रसारित इससे संबधित सभी परिपत्र / आदेश / दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में अब आशा– सहयोगिनी के चयन, प्रशिक्षण एवं हटाने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. चयन :–

1. आशा– सहयोगिनियों का चयन ग्रामसभा / विशेष ग्रामसभा के माध्यम से किया जाए।
2. आशा --सहयोगिनी के लिए चयन किए जाने वाली महिलाएं केवल :–
   - अ. आंगनबाड़ी परिक्षेत्र की रहने वाली हो।
   - ब. विवाहित हो।
3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता** :– आशा–सहयोगिनी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं पास हो। अधिक शैक्षणिक योग्यता वाली महिला को प्राथमिकता दी जाए।
4. यदि किसी गांव / पंचायत में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 30 प्रतिशत से कम है (आकड़े जिला सांख्यिकी विभाग में उपलब्ध) तो वहां 5 वीं पास तक की शैक्षणिक योग्यता वाली महिला को चयन किया जा सकेगा। यदि 5 वीं पास महिला का कार्य संतोषजनक हो तो उसे 8 वीं पास करने के लिए प्रेरित किया जाये।
5. **आयु** :– आशा–सहयोगिनी के चयन के लिए महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष हो।

2. आवेदन प्रक्रिया :–

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी व ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकास अधिकारी से मिलकर ग्रामसभा / विशेष ग्रामसभा के आयोजन की तिथियां निर्धारित करेंगे।
2. ग्रामसभाओं की तिथि निर्धारण करते समय यह अवश्य देख लिया जाए कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर आशा–सहयोगिनी के चयन के समय यथा संभव ए.एन.एम. तथा पर्यवेक्षक दोनों उपस्थित हो। परन्तु दोनों में से एक कर्मी आवश्यक रूप से इस सभा में भाग लेवें। अतः जितनी पर्यवेक्षक और ए. एन.एम. उपलब्ध हो, उन्हीं के अनुसार ग्रामसभाओं की तिथियां निर्धारित की जाए।

3. ग्राम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व सामुदायिक/प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिस केन्द्र पर चयन किया जाना है, उसके परिक्षेत्र में मुनादी द्वारा तथा सूचना का नोटिस लगवाकर, आशा सहयोगिनियों के चयन का दिनांक, समय, स्थान, योग्यता, उम्र आदि से ग्रामवासियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें। नोटिस में मुनादी (डोंडी पीटना) में यह भी बतावे कि इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र ग्राम पंचायत तथा संबंधित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहीं भी एक स्थान पर दे सकती है। सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवेदन पत्र उस केन्द्र की ग्रामसभा की तिथि के एक दिन पूर्व तक ही स्वीकार किए जा सकेंगे। सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त आवेदन पत्रों को ग्रामसभा के दिन ग्रामसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। ग्रामसभा में दिए गए आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। इस प्रकार ग्राम पंचायत, सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्रामसभा में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर नियमानुसार चयन हेतु विचार किया जाए।

4. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व उम्र आदि के केन्द्र परिक्षेत्र में रहने वाली विवाहित महिलाओं के प्राप्त प्रस्तावों पर ग्रामसभा द्वारा निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर आशा सहयोगिनी का चयन किया जाए :—

अ. विधवा

ब. परित्यक्ता / तलाकशुदा

स. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति

द. अन्य वर्ग

5. अनियमितताओं के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में मानदेय सेवा से पृथक की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/साथिन/ आशा–सहयोगिनी को दुबारा चयन नहीं किया जाए।

6. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/साथिन का कार्य कर रही महिला के परिवार की अन्य महिला का चयन आशा–सहयोगिनी के रूप में नहीं किया जाए।

2. चयन प्रक्रिया :—

1. निर्धारित ग्रामसभा के तिथि पर ए.एन.एम. और पर्यवेक्षक ग्रामसभा में भाग लेगी।
2. ग्राम सभा में, यदि महिला पंच या अन्य जन प्रतिनिधि महिला हो तो बैठक में उनकी उपस्थिति को आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए।
3. ग्रामसभा में आशा–सहयोगिनी चयन के लिए निम्नानुसार कदम उठायेंगे:—

- सर्वप्रथम ग्रामसभा में उपस्थित व्यक्तियों को आशा–सहयोगिनी के कार्य, उत्तरदायित्व, उसे मिलने वाले मानदेय, महिला की योग्यता, आंगनबाड़ी परिक्षेत्र की रहने वाली महिला तथा अन्य प्राथमिकताओं के विषय में बता दिया जाए।

- यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निर्धारित योग्यता व उम्र की समस्त आवेदक महिलाएं ग्रामसभा में उपस्थित हो गई है।
- यदि प्राथमिकता में एक ही महिला आती है तो उसका चंयन किया जाए। यदि प्राथमिकता के आधार पर अधिक महिलाएं उपलब्ध हो तो उच्च शैक्षणिक योग्यता वाली का चयन किया जाए।
- ग्रामसभा योग्य आवेदकों में से प्रथम तीन योग्यतम महिलाओं का चयन करेगी।
- ग्रामसभा में उपस्थित ए.एन.एम./पर्यवेक्षक चयन पर एक टिप्पणी लिखेंगी तथा वरियता क्रम में तीन महिलाओं के नाम लिखकर उस पर उपस्थित पंच, सरपंच, ए.एन.एम. तथा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाकर सूची प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को देगी।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी किए गए चयन को मानदण्डों के आधार पर समीक्षा कर निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने वाली प्रथम अभ्यर्थी महिला को चिहिन्त कर प्रशिक्षण हेतु अन्तिम चयन करेगें। चयन सूची के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगे।
- तीन नियमित ग्रामसभा/विशेष ग्रामसभाओं में योग्य आशार्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी आशा–सहयोगिनी के चयन के प्रस्ताव पारित नहीं किये जाने की स्थिति में सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा अधिकारी प्रभारी योग्य महिलाओं से सीधे ही आवेदन आमंत्रित करेंगे। साथ ही एएनएम/पर्यवेक्षक से सक्षम महिलाओं की सूची भी प्राप्त करेगें। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी इन प्रकरणों को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा पंचायत समिति के विकास अधिकारी की समिति के समक्ष रखेंगे व संयुक्त रूप से निर्धारित मानदण्डों के आधार पर चयन करेंगे।
- आशा–सहयोगिनी के समस्त रिकार्ड का संधारण सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चिकित्सा प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

प्रशिक्षण एवं चयन आदेश

1. प्रशिक्षण आयोजन की जिम्मेदारी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की होगी। प्रशिक्षण की सूचना प्राप्त होने पर प्रशिक्षण में आशा–सहयोगिनी की उपस्थिति की जिम्मेदारी संबधित चिकित्सा प्रभारी अधिकारी की होगी। राज्य आशा संदर्भ केन्द्र–स्वास्थ्य भवन, जयपुर प्रशिक्षण हेतु तकनीकि संस्था के रूप में कार्य करेगा। प्रशिक्षण की मानीटरिंग की जिम्मेदारी दोनों विभागों की होगी।
2. <u>नव चयनित</u> आशा–सहयोगिनीयों का 15 दिवसीय प्रशिक्षण जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा।

3. नव चयनित आशा–सहयोगिनियों का समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

4. प्रशिक्षण में प्रत्येक दिन महिलाओं का मूल्यांकन किया जाएगा तथा मूल्यांकन के आधार पर जो महिलाएं उपयुक्त नहीं पाई जाएगी, उनके सुधार हेतु विशेष प्रयास किये जाएगें।

5. प्रशिक्षण के अंत में समस्त महिलाओं का मूल्यांकन होगा और उसके आधार पर उनको A, B, C & D ग्रेड में विभक्त किया जाए।

6. प्रशिक्षक इस सूची पर हस्ताक्षर कर यह सूची सी.एम.एच.ओ एवं उपनिदेशक आई.सी.डी.एस. को भिजवा देंगे। जिन महिलाओं ने A & B ग्रेड प्राप्त की हैं, उनकी मानदेय सेवा व प्रेरक–प्रतिपूर्ति राशि में कार्य करने की स्वीकृति के आदेश संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्रसारित करेंगे। स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपि सी.एम.एच.ओ, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपनिदेशक आई.सी.डी.एस. तथा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजी जाएगी।

7. आशा–सहयोगिनी के चयन आदेश में उसका राज्य कर्मचारी नहीं होना, सामाजिक कार्य हेतु स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया जाना, नियमानुसार मानदेय/प्रेरक राशि का भुगतान किया जाना, समय–समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा, विभागीय निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी, आदि शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होगा।

हटाने की प्रक्रिया :–

1. प्रत्येक आशा–सहयोगिनी के कार्यों का मूल्यांकन संबंधित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाली मासिक बैठक में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की अध्यक्षता में ए.एन.एम. एवं पर्यवेक्षक करेगी। जो आशा सहयोगिनी समय–समय पर निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण नहीं करे, उसे लिखित में नोटिस संबंधित चिकित्सा अधिकारी–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दिया जाए, उसकी प्रति ग्राम पंचायत, ब्लाक चिकि. अधि. एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को दी जाए। नोटिस में उसे अपने कार्य संपादन में सुधार हेतु दो माह का समय दिया जाए।

2. यदि ग्रामसभा किसी आशा–सहयोगिनी का कार्य ठीक ढंग से नहीं करने के कारण हटाने का निर्णय लेती है, तो उसे भी नोटिस माना जाये। ग्रामसभा के निर्णय की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सम्बन्धित आशा सहयोगिनी को नोटिस के रूप में सूचित करे।

3. इस प्रकार यदि कोई आशा–सहयोगिनी आवश्यकतानुसार नोटिस देने के बाद भी अपेक्षानुसार कार्य नहीं करती है तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी व महिला पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से मासिक बैठकों में उसको हटाने का निर्णय लेंगे व संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी आदेश प्रसारित करेंगे।

4. यदि किसी आशा– सहयोगिनी की कोई अन्य शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अपने स्तर पर उसकी जांच करायेंगें/करेगें तथा जांच के परिणामों के आधार पर

मासिक बैठक में निर्णय लेगे। निर्णय के आधार पर संबधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी आदेश प्रसारित करेगें। यदि मानदेय सेवा से हटाई आशा– सहयोगिनी, चिकित्सा अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होती है तो वह पृथक किये जाने की तिथि से 30 दिन में संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकती है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों पर मासिक बैठक में उसकी समीक्षा कर उसको हटाने / निरन्तर रखे जाने का निर्णय लेंगे। ब्लॉक स्तर पर उक्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। आशा– सहयोगिनी को पृथक् किये जाने के उपरान्त 30 दिवस की अवधि तक नई आशा– सहयोगिनी का चयन नहीं किया जाएगा।

5. यदि आशा–सहयोगिनी स्वयं कार्य से पृथक होने की इच्छा रखती है तो वह संबधित सामुदायिक/प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी को एक माह पूर्व सूचित करके स्वेच्छा से पद त्याग करेगी।

परिपत्र अनुसार कार्यवाही तुरतं प्रभाव से प्रभावी होगी।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

कमाकं : F-21/NRHM/ASHA/Convergence/2009/ 4387 — जयपुर दिनाकं : 5.10.9
कमाकं : F-26(4)/AS/T&C/ICDS/08 65191-311 — जयपुर दिनाकं : 29.9.09

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक (NRHM) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6 निदेशक समेकित बाल विकास सेवाऐं,जयपुर।
7 निदेशक, आर.सी.एच जयपुर।
8 जिला कलेक्टर समस्त।
9 जोन निदेशक, समस्त संभाग को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
10 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त को भेजकर लेख है कि संबधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने स्तर से परिपत्र से अवगत कराने का श्रम करें।
11 उपनिदेशक (बाल विकास) समस्त को भेजकर लेख है कि संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराने का श्रम करें।
12 डिविजनल एम.सी.एच.कोर्डिनेटर कोटा/अजमेर/उदयपुर/ बीकानेर।

परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ